Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :-17 तक0को0 – 312/2018 1678

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बांका, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चंपारण,
जमुई, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :15-06-2021

विषय :- विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित अंचलों के अतिरिक्त जिले के अन्य अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शिविर गठन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट कहना है कि भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आदेश संख्या 1600 दिनांक-20.09.2019 द्वारा राज्य के बीस जिलों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस आदेश के आलोक में नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक-11032 दिनांक-20.10.2020 द्वारा उक्त बीस जिलों के कुल 220 अंचलों में से 90 अंचलो में 207 शिविर गठन कर विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। उक्त शिविरों में कार्य की वर्तमान प्रगति से स्पष्ट है कि ऋतु परिवर्तन के कारण सभी अंचलों विशेषकर बाढ़ग्रस्त अंचलों में अगले कुछ महीनों तक विशेष सर्वेक्षण के कार्य की निरन्तरता को बनाए रखना संभव नहीं हो पाएगा। उक्त परिस्थिति में ऐसे शिविरों में पदस्थापित कर्मियों के कार्य आवंटन एवं जिले में विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि शेष अंचलों में कार्य सर्वेक्षण पूर्व गतिविधि के अंतर्गत की जाने वाली कारवाईयों यथा उद्घोषणा (प्रपत्र-1), प्रपत्र-2 एवं 3 (1) का संकलन और प्रपत्र-5 का लेखन इत्यादि कार्य का संपादित कर लिया जाए। साथ ही इन अंचलो में सरकारी भूमि से संबंधित विवरणी को विभिन्न विभागों से प्राप्त कर संग्रहित कर ली जाए।

उपर्युक्त के संदर्भ में जिला स्तर पर सभी अंचलों में शिविर गठित करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान रखते हुए शिविरों शिविरों के गठन किए जाने की आवश्यकता है :-

1. प्रत्येक शिविर में 20-25 राजस्व ग्रामों को रखा जाए ग्रामों के आकार के आलोक में इस संख्या को घटाया/बढ़ाया भी जा सकता है।
2. शिविर का मुख्यालय इस शिविर से अच्छादित ग्रामों के आवागमन के अनुसार सुविधाजनक स्थान पर हो।
3. शिविर अंतर्गत ग्रामो की सीमा अनिवार्यतः भौगोलिक रूप से आपस में संबद्ध हो।
4. शिविर मे सम्मिलित प्रत्येक राजस्व ग्राम का नाम एवं थाना नं0 स्पष्ट हो।
5. शिविर के लिए चयनित समूहवद्ध ग्राम उससे संबंधित अंचल के अंतर्गत अवस्थित हो। दूरी या सुविधा के आधार किसी दूसरे अंचल में सम्मिलित किया जाना प्रशासनिक/सर्वेक्षण के दृष्टिकोण से गलत होगा।
6. शिविर गठन करते समय जिलों के लिए की गई राज्यस्तरीय अधिसूचना के आलोक में नगर निकायों के क्षेत्र एवं असर्वेक्षित भूमि/टोपोलैण्ड को छोड़कर केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उद्घोषणा कर उनमें विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाए।

7. ETS मशीन उपलब्ध होने की स्थिति में त्रि–सिमानों की पहचान एवं सत्यापन तथा ग्राम सत्यापन भी कर लिया जाए।

उक्त सुझावों के आलोक में शिविरों के गठन संबंधी प्रस्ताव तैयार करते समय यह भी आवश्यक है कि निदेशालय द्वारा तैयार किए गए R 2 R सॉफ्टवेयर में प्रस्तावित शिविरों और उनसे संबंधित ग्रामों की प्रविष्टि की जाए। ताकि बाद में इस सॉफ्टवेयर के द्वारा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन एवं लिपिक को शिविर एवं ग्राम से सम्बद्ध किया जा सके। R 2 R सॉफ्टवेयर में शिविर एवं ग्रामों की प्रविष्टि एवं कर्मियों की सम्बद्धता संबंधी User Mannual इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि शिविर गठन के लिए उपर वर्णित सुझावों के आलोक में निम्न प्रपत्र में जिला अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण के लिए पूर्व से चयनित अंचलों के अतिरिक्त अन्य अंचलों में दिनांक–25.06.2021 तक शिविर का गठन करते हुए निम्न प्रपत्र में एक्सेल सॉफ्ट कॉपी में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए :–

क्र0	जिला का नाम	शेष अंचल का नाम जहाँ विशेष सर्वेक्षण प्रवर्त्तन में नहीं है।	प्रस्तावित शिविर का नाम	शिविर अंतर्गत ग्राम का विवरण		अभ्युक्ति
				राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व ग्राम का थाना संख्या	
1	2	3	4	5	6	7

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 15/6/21
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 तक0को0 – 312/2018 1678 पटना, दिनांक:– 15-06-2021

प्रतिलिपि :– संबंधित जिलों अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/स0ब0पदा0 (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 15/6/21
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 तक0को0 – 312/2018 1678 पटना, दिनांक:– 15-06-2021

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप/जी0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप 15/6/21

ज्ञापांक :– 17 तक0को0 – 312/2018...1678 पटना, दिनांक:–...15-06-2021

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

15/6/21

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 तक0को0 – 312/2018...1678 पटना, दिनांक:–...15-06-2021

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

15/6/21

Directorate of
Land Records & Survey
Government of Bihar

User Manual

Shivir Creation & Updation

Please click on URL: http://dlrs.bihar.gov.in/

DLRS की विभागीय Website के पेज पर बने R2R Personnel Management सॉफ्टवेयर आइकान पर क्लिक करने के बाद Personnel Management का पेज आएगा| नए शिविर के R2R सॉफ्टवेयर में निर्माण/संरचना का कार्य एवं आदेशानुसार शिविर के मौजे में बदलाव का कार्य जिले के लॉगिन द्वारा ही किया जाना है|

जिला मुख्यालय द्वारा Software में लॉग इन करने के लिए क्रमवार निम्नलिखित चरण हैं:

1. कृप्या दी गई USER ID अंकित करें |
2. कृप्या आपके द्वारा Change की हुई Password को अंकित करें |
3. "Enter Code" में अंकित कोड को भरें|
4. "Log In" बटन पर क्लिक करें|

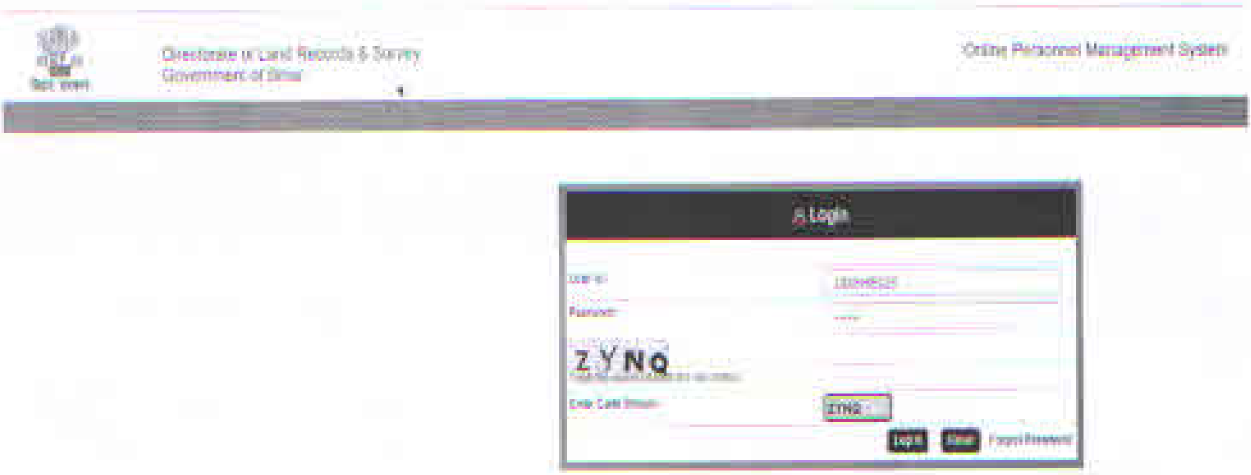

<u>नए शिविर के गठन एवं उसमे बदलाव करने की सुविधा:</u>

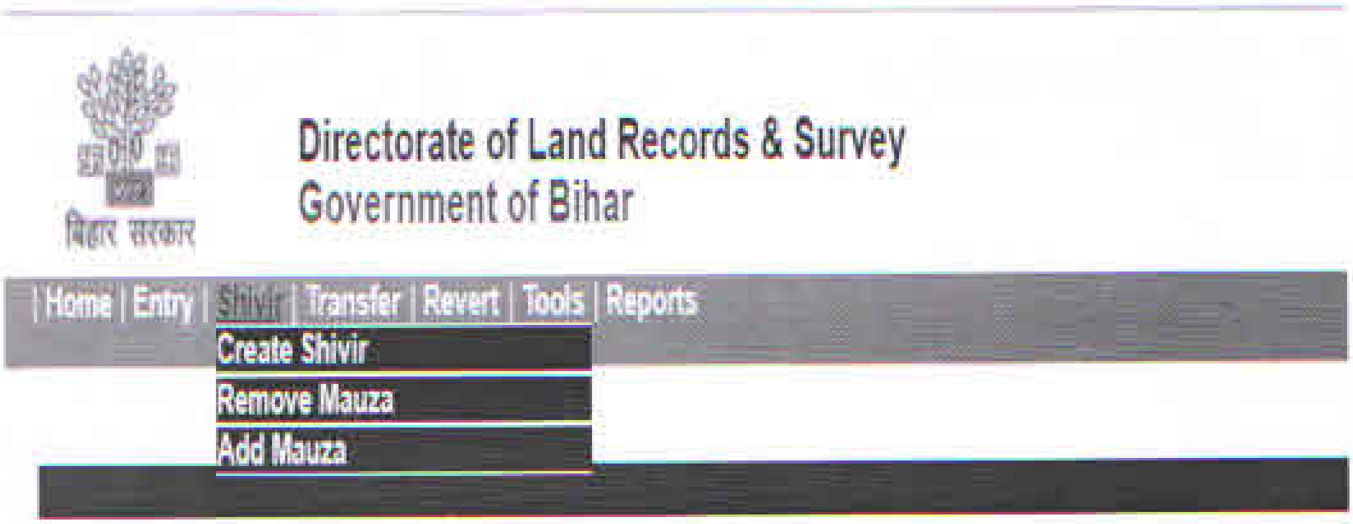

शिविर संरचना अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

a. Create Shivir
b. Remove Mauza
c. Add Mauza

a. Create Shivir:

जिले में नए शिविर की संरचना के लिए निम्नलिखित चरण हैं:

1. "Create Shivir" पर क्लिक करें|

क्लिक करने के बाद "Online Shivir Entry (District)" पेज का स्क्रीन आएगा|

2. "Select District" में आपका जिला स्वतः दिखेगा|

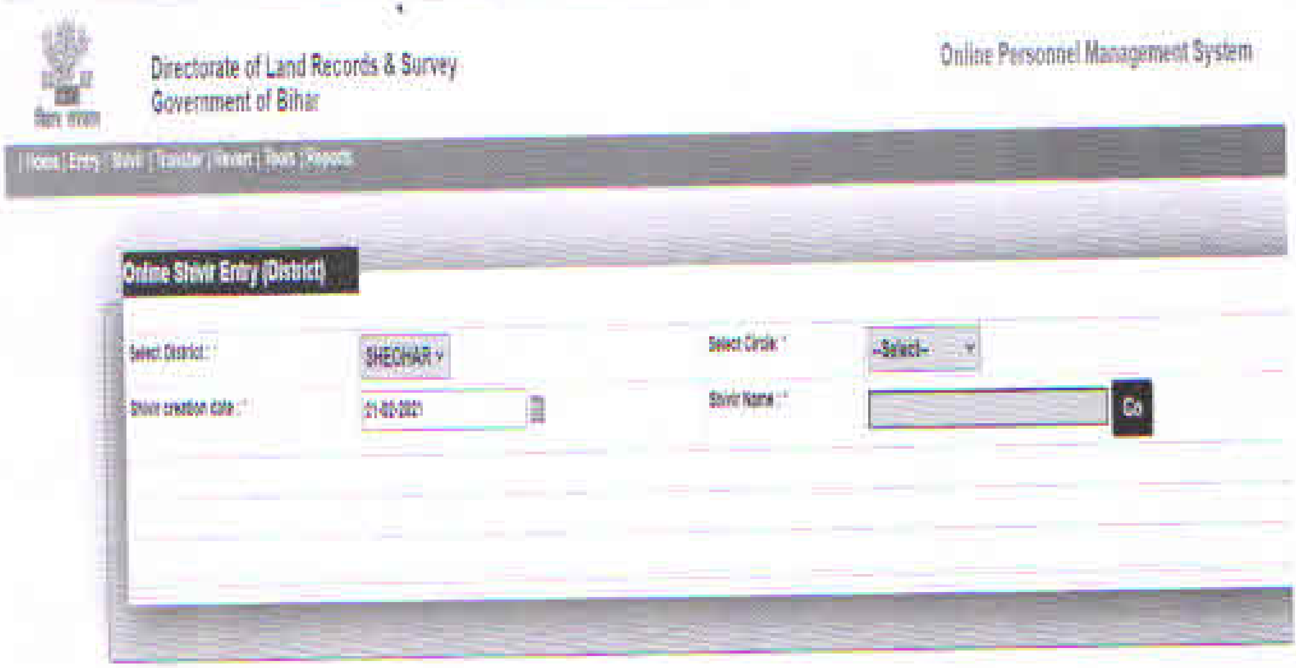

3. "Select Circle" में आपको जिस Circle के अंतर्गत शिविर का निर्माण करना है उसे सूची से चयनित करें|

4. "Shivir Creation Date" में आप जिस दिन शिविर निर्माण का कार्य कर रहे हैं उसे Calendar से चयनित करें|

5. "Shivir Name" - शिविर का नाम लिखने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है|

शिविर का नाम हमेशा ही Circle के नाम से सुरुवात कर उसके बाद नंबर (01,02,03,..) जोड़ना आवश्यकता है ताकि बाकि शिविर के नाम में एकरूपता बनी रहे| शिविर के नाम में अपने अनुसार किसी भी बदलाव को नहीं किया जाना ही शिविरों के नाम की समरूपता के लिए उचित होता है| अतः उदाहरण के अनुरूप को ध्यान में रखते हुए की शिविरों का नाम लिखें|

(उदाहरण स्वरूप:

1. **यदि आपको बांका जिले के Banka Circle में 3 शिविर का निर्माण करना है तो उन तीनों शिविरों का नाम क्रमश: Banka 01, Banka 02, Banka 03 ही होगा|**
2. **यदि आपको बेगुसराय के CHERIA BARIYARPUR Circle में 1 शिविर का निर्माण करना है तो उस 1 शिविर का नाम "CHERIA BARIYARPUR 01" ही होगा|)**

6. "Go" पर क्लिक करें|

7. Go बटन पर क्लिक करने के पश्चात उस Circle के सभी मौजों का नाम लिस्ट के रूप में दिखेगा|

(जो मौज़ा किसी शिविर में जुड़ जाएगा वो नए शिविर बनाने के क्रम में लिस्ट में प्रदर्शित नहीं होगा|)|

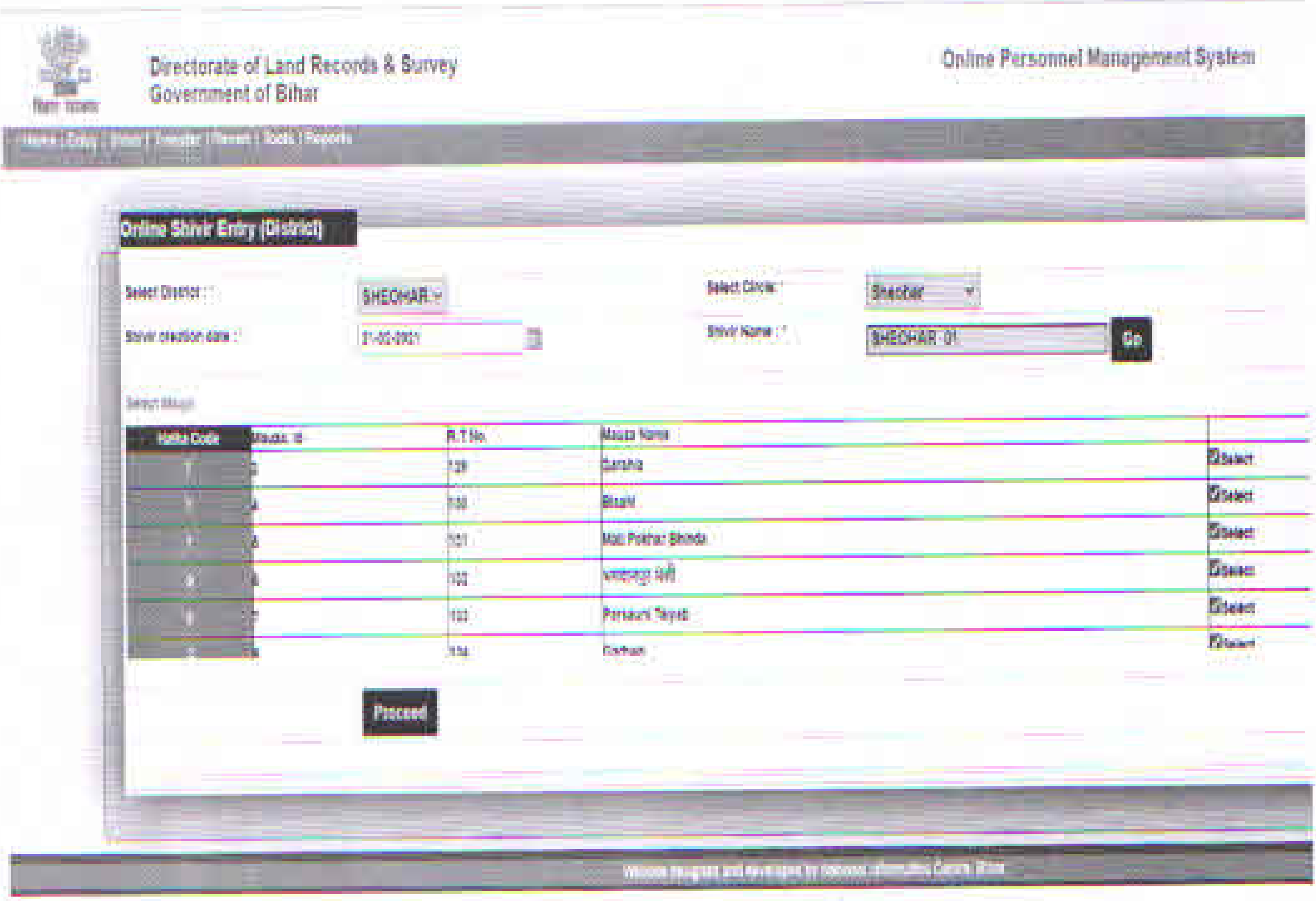

8. "Proceed" बटन पर क्लिक करने के पूर्व टिक मार्क किए हुए मौजों की जांच कर लें, यदि किसी कारण से गलत मौजे के सामने टिक मार्क हो गया है तो उसे चेकबॉक्स में हुए टिक मार्क को वापस क्लिक करके हटे दें|

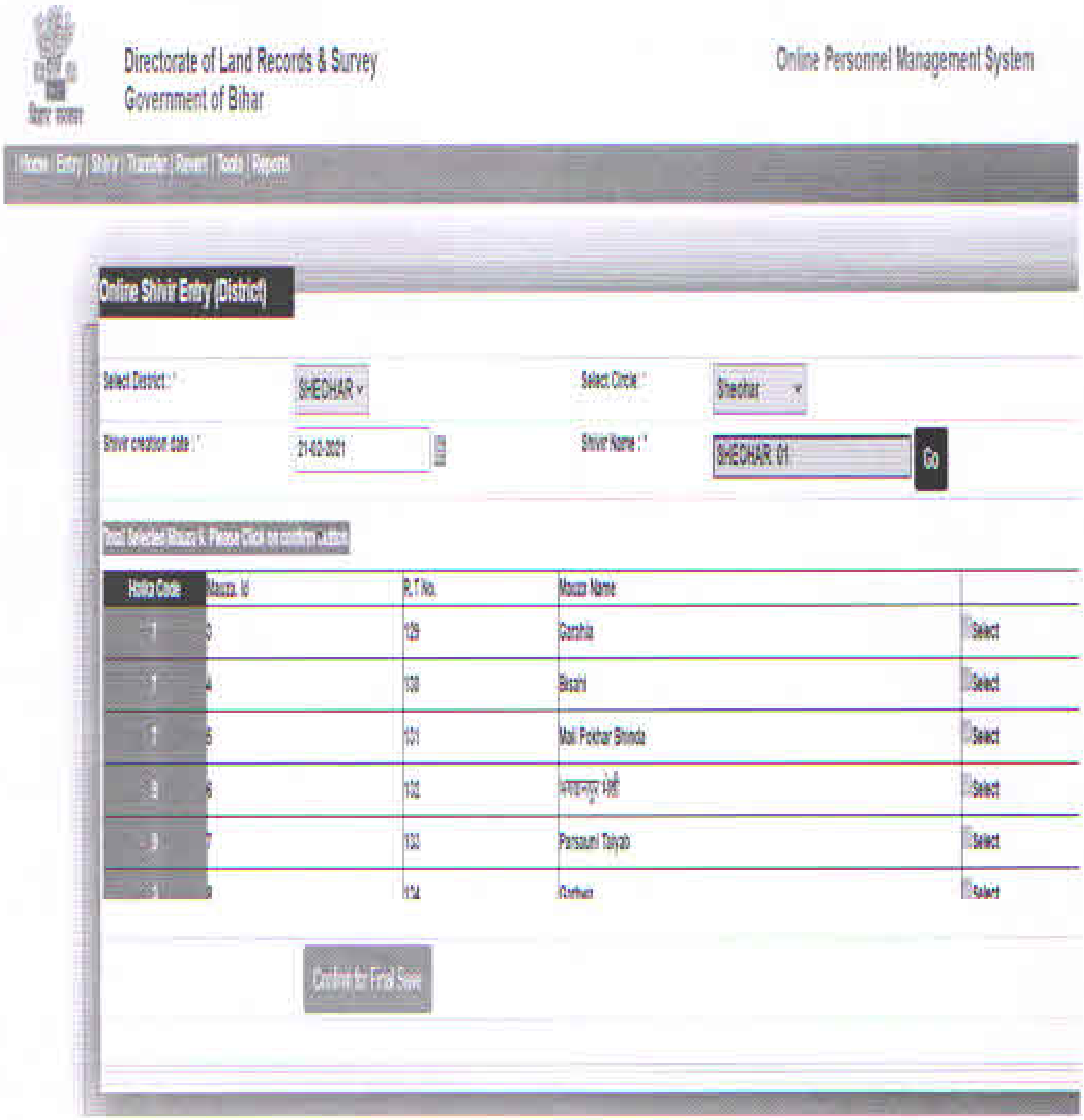

9. आपने सूची के अनुसार जीतने मौजों को चुना है उसकी कुल संख्या दिखेगी|

10. "Confirm for Final Save" बटन पर क्लिक करें|

11. बटन पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा बनाए गए शिविर में चयनित मौजे जुड़ जाएंगें|

b. Remove Mauza:

किसी जिले के शिविर से किसी जुड़े हुए मौजे को हटाने के लिए अनिवार्य है की उसमें पूर्व से कोई भी पदाधिकारी/कर्मी Software में जुड़े ना हो|

(यदि किसी कारण से शिविर में कोई ऐसा मौज़ा जुड़ गया है जिसे अन्य शिविर में होना चाहिए, तो उस मौजे को पहले "Remove Mauza" ऑप्शन में जाकर उस शिविर से हटाने के उपरांत ही अन्य दूसरे शिविर में जोड़ा जा सकता है|)

जिले में बने शिविर में किसी मौजे को हटाने के लिए निम्नलिखित चरण हैं:

1. Shivir Tab पर क्लिक करें|
2. "Remove Mauza" पर क्लिक करें|

क्लिक करने के बाद "Remove Mauza From Shivir" पेज का स्क्रीन आएगा|

3. "Select District" मे् आपका जिला स्वतः दिखेगा|
4. "Select Circle" में आपको जिस Circle के अंतर्गत शिविर से मौज़ा को हटाना है उसे चयनित करें|
5. "Shivir Name" - जिस शिविर से मौज़ा को हटाना है उस शिविर को सूची से चयनित करें|
6. "Go" पर क्लिक करें|
7. क्लिक करने के बाद उस शिविर में जीतने मौजे पूर्व में जोड़े गए है वह सूची सामने आ जाएगी|
8. उस सूची में जिस मौजे को हटाना है, उस मौजे के सामने बने Select को क्लिक करें ताकि Tick Mark हट जाए|

   (1 बार में 1 से अधिक मौजों को हटाना संभव है)
9. उसके उपरांत "Proceed" बटन पर क्लिक करें|
10. "Confirm for Final Save" बटन पर क्लिक करें|

11. बटन पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा बनाए गए शिविर में चयनित मौजे हट जाएगा|

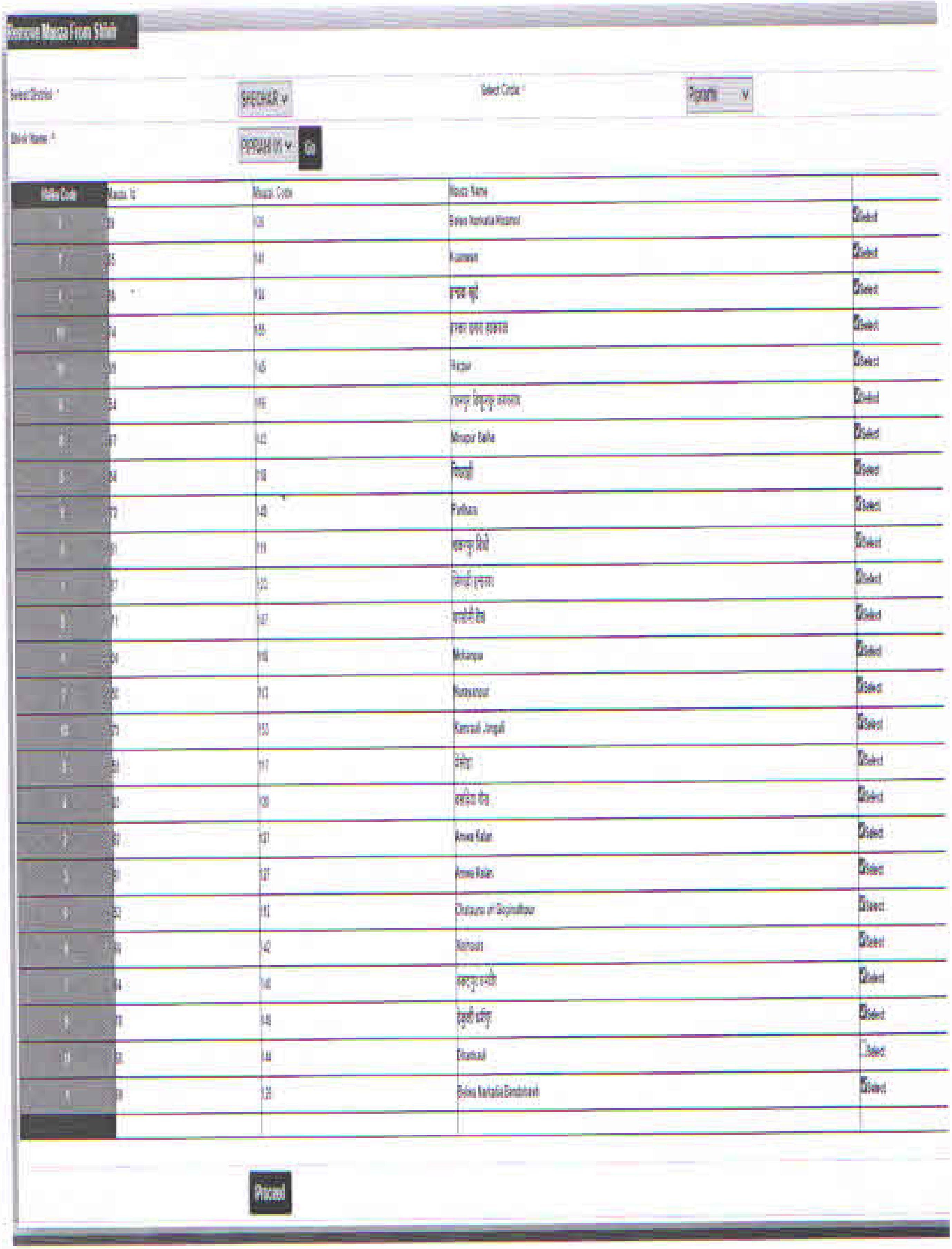

c. Add Mauza:

किसी जिले के शिविर में किसी मौजे को जोड़ने के लिए अनिवार्य है की वह मौज़ा किसी अन्य शिविर ना जुड़ा ना हो|

जिले में बने शिविर में किसी मौजे को जोड़ने के लिए निम्नलिखित चरण हैं:

1. Shivir Tab पर क्लिक करें|
2. "Add Mauza" पर क्लिक करें|

क्लिक करने के बाद "Add Mauza From Shivir" पेज का स्क्रीन आएगा|

3. "Select District" में आपका जिला स्वतः दिखेगा|
4. "Select Circle" में आपको जिस Circle के अंतर्गत शिविर से मौज़ा को जोड़ना है उसे चयनित करें|
5. "Shivir Name" - जिस शिविर में मौज़ा का नाम जोड़ना है उस शिविर को सूची से चयनित करें|
6. "Go" पर क्लिक करें|
7. क्लिक करने के बाद उस Circle में जीतने मौजे शेष है (जिनको किसी शिविर में जोड़ा नहीं गया है) वह सूची सामने आ जाएगी|
8. उस सूची में जिस मौजे को जोड़ना है, उस मौजे के सामने बने Select को क्लिक करें ताकि Tick Mark आ जाए|

(1 बार में 1 से अधिक मौजों को जोड़ना संभव है)

9. उसके उपरांत "Proceed" बटन पर क्लिक करें|
10. "Confirm for Final Save" बटन पर क्लिक करें|
11. बटन पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा बनाए गए शिविर में चयनित मौजे जुड़ जाएगें|